महोबा पुलिस

दिनांक- 16.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 562/26

मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महोबा पुलिस का जनपदव्यापी "बहू–बेटी सम्मेलन", महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का संदेश

"सशक्त नारी – सुरक्षित समाज" के संकल्प के साथ महोबा पुलिस का व्यापक जागरूकता अभियान

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के मार्गदर्शन में आज दिनांक 16.08.2026 को मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा के समस्त थाना क्षेत्रों में वृहद स्तर पर "बहू–बेटी सम्मेलन" का आयोजन किया गया।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत एसओपी के अनुपालन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्र टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं, बहुओं, बालिकाओं, छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा बहुओं, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, जनप्रतिनिधियों एवं सम्मानित नागरिकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें समाज में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता के महत्व से अवगत कराया गया। साथ ही मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों—नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन—के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

सम्मेलन के दौरान महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया।

युवतियों एवं छात्राओं को शिक्षा के महत्व, आत्मरक्षा, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास, सुरक्षित भविष्य निर्माण एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग के संबंध में विशेष रूप से जागरूक किया गया। उन्हें साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय बताते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु प्रेरित किया गया।

साइबर जागरूकता के अंतर्गत महिलाओं को OTP, बैंक खाता विवरण, ATM/CVV, UPI PIN एवं पासवर्ड साझा न करने, फर्जी कॉल/मैसेज/लिंक से सावधान रहने एवं साइबर अपराध होने पर 1930 हेल्पलाइन एवं निकटतम थाना/साइबर सेल से संपर्क करने हेतु जागरूक किया गया।

इसके अतिरिक्त शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं—मिशन शक्ति, महिला हेल्प डेस्क, कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, वन स्टॉप सेंटर, उज्ज्वला योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना—के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही 112, 1090, 181, 1098, 1930, 1076, 102 एवं 108 हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया तथा यह विश्वास दिलाया गया कि महिला सुरक्षा एवं सम्मान के लिए महोबा पुलिस सदैव प्रतिबद्ध है और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है।

दिनांक- 16.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 563/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 06 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 15.08.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री प्रवीण सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित व उ0नि0 संदीप विमल मय हमराह हे0कां0 विनोद कुमार, कां0 सुरेन्द्र, रि0कां0 आशिफ, रि0कां0 धर्मेन्द्र, रि0कां0 विनय व रि0कां0 इंदल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान बिन्नेका पहाडी कस्बा व थाना श्रीनगर के पास रुपये पैसो से हार जीत की बाजी लगाकर ताश पत्तो से जुंआ खेलते हुये 06 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.सूरज कुशवाहा पुत्र वीरेन्द्र कुशवाहा उम्र करीब 23 वर्ष 2.दशरथ कुशवाहा पुत्र दीपक कुशवाहा उम्र करीब 19 वर्ष 3.अशोक कुशवाहा पुत्र मनीराम उम्र करीब 35 वर्ष 4.गोकुल कुशवाहा पुत्र शिवचरन उम्र करीब 32 वर्ष 5.जीतेन्द्र कुशवाहा पुत्र चरनदास उम्र करीब 23 वर्ष 6.रामपाल कुशवाहा पुत्र नारायणदास उम्र करीब 28 वर्ष समस्त निवासीगण मो0 बाँस पहाड़िया कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से मालफड़ 3540 रु0, जामा तलाशी 890 रु0 कुल 4430 रु0 व 52 अदद ताशपत्ता बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 151/2026 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1.सूरज कुशवाहा पुत्र वीरेन्द्र कुशवाहा उम्र करीब 23 वर्ष नि0 मो0 बाँस पहाड़िया कस्बा व थाना श्रीनगर महोबा
2.दशरथ कुशवाहा पुत्र दीपक कुशवाहा उम्र करीब 19 वर्ष नि0 मो0 बाँस पहाड़िया कस्बा व थाना श्रीनगर महोबा
3.अशोक कुशवाहा पुत्र मनीराम उम्र करीब 35 वर्ष नि0 मो0 बाँस पहाड़िया कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा
4.गोकुल कुशवाहा पुत्र शिवचरन उम्र करीब 32 वर्ष नि0 मो0 बाँस पहाड़िया कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा
5.जीतेन्द्र कुशवाहा पुत्र चरनदास उम्र करीब 23 वर्ष नि0 मो0 बाँस पहाड़िया कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा
6.रामपाल कुशवाहा पुत्र नारायणदास उम्र करीब 28 वर्ष नि0 मो0 बाँस पहाड़िया कस्बा व थाना श्रीनगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित
2.उ0नि0 संदीप विमल
3.हे0कां0 विनोद कुमार
4.कां0 सुरेन्द्र
5.रि0कां0 आशिफ
6.रि0कां0 धर्मेन्द्र
7.रि0कां0 विनय
8.रि0कां0 इंदल

दिनांक- 16.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 563/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में आरक्षी भर्ती के DV/PST ड्यूटी में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की ब्रीफिंग, निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश...।

आज दिनांक 16.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड, क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री तेजप्रकाश एवं क्षेत्राधिकारी अपराध श्री अजय पाल द्वारा उपजिलाधिकारी सदर श्री धीरेन्द्र कुमार की उपस्थिति में पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में आरक्षी भर्ती के अंतर्गत अभिलेखों के सत्यापन (DV) एवं शारीरिक मानक परीक्षण (PST) ड्यूटी में नियुक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण की विस्तृत ब्रीफिंग की गई।

ब्रीफिंग के दौरान आरक्षी भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने पर विशेष जोर दिया गया। सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता एवं सजगता के साथ करें तथा भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निर्धारित मानकों एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।

अधिकारीगण द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अभ्यर्थियों के साथ शालीन, मर्यादित एवं सहयोगात्मक व्यवहार रखा जाए तथा प्रत्येक अभ्यर्थी को समान अवसर प्रदान किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता, पक्षपात अथवा अनुचित आचरण को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान समयबद्धता, अनुशासन एवं पारदर्शिता बनाए रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क दृष्टि रखते हुए तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही भर्ती स्थल पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, अभ्यर्थियों की सुविधा एवं आवश्यक व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखने तथा अभिलेखों के सत्यापन (DV) एवं शारीरिक मानक परीक्षण (PST) की प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुरूप पूर्ण सावधानी एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

ब्रीफिंग के दौरान संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

महोबा पुलिस द्वारा आरक्षी भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी, सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक योग्य अभ्यर्थी को समान एवं निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित किया जा सके।

दिनांक- 16.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 564/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों तथा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 16.08.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा उ0नि0 सनय कुमार मय हमराही कर्मचारीगण के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त गीतेश तिवारी पुत्र अशोक तिवारी, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी मो0 शेखूनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, मूल पता ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा को मां चन्द्रिका महाविद्यालय के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 01 किलो 200 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 409/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

गीतेश तिवारी पुत्र अशोक तिवारी, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी मो0 शेखूनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, मूल पता ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सनय कुमार, चौकी प्रभारी भटीपुरा
2.उ0नि0 अभिषेक कुमार
3.कां0 रामचन्द्र
4.कां0 नरेन्द्र कुमार